न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— संजय गोयल, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्याः—79/2010

1. धनेश चन्द पुत्र हुकमसिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम सुनारी, तहसील व जिला भरतपुर।
2. हुकमसिंह पुत्र खचेरा, जाति जाट, निवासी ग्राम सुनारी, तहसील व जिला भरतपुर।

बनाम —वादीगण

1. कार्यकारी अधिकारी, नरेगा, भरतपुर।
2. सचिव पंचायत सेवर, तहसील व जिला भरतपुर।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम,1955

निर्णय

दिनांकः— 20—11—2018

वादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अर्न्तगत धारा 188 आर.टी.ए. विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि बाके ग्राम नगला तरोड़ा तहसील भरतपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 33/0.28, 35/0.33, 36/0.43 के वादीगण काबिज खातेदार कृषक हैं। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। सरपंच चुनावों के समय से ही वादीगण से रंजिश रखता चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण से साज करके उक्त आराजी में से रास्ता कायम करना चाहते हैं जबकि उक्त नम्बरान के सहारे कोई भी रास्ता मौके पर नहीं है और न ही राजस्व रिकॉर्ड में है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 28.

06.2010 को मौके पर आकर वादीगण की आराजी में मिट्टी उठाने के तथा रास्ता बनाने के निशान बना दिए। वादीगण ने प्रतिवादीगण से मना किया तो प्रतिवादीगण ने खुलेआम धमकी दी है कि तुम्हारे खेतों में होकर सड़क निर्माण करेंगे व मिट्टी खेत खोदकर डाली जावेगी। प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी को नष्ट भ्रष्ट करने पर आमादा हैं। अतः प्रतिवादीगण अपने इरादे में कामयाब हो गए तो वादीगण को असीमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति नकद धनराशि से नहीं हो सकेगी। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं।

इस प्रकार वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री वहक वादी इस अम्र की घोषित फरमाई जावे कि वाके ग्राम नगला तरोड़ा तहसील भरतपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 33/0.28, 35/0.33, 36/0.43 में प्रतिवादीगण नाजायज रूप से मिट्टी खोदकर सड़क न निकालें। आराजी को नष्ट भ्रष्ट न करें एवं किसी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत न करें तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में संवत् 2065–2068 की जमाबन्दी एवं नक्शा पेश किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिए रजिस्टर्ड सम्मन से सूचित होने के उपरान्त भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित नहीं होने के बावजूद इनके विरुद्ध दिनांक 09.05.2012 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। साक्ष्यवादी में गवाह धनेशचन्द व दानसिंह के शपथपत्र पेश हुए। अन्य साक्ष्य पेश न करने पर दिनांक 278.04.2016 को साक्ष्यवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

पत्रावली पर अभिभाषक वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने दावा में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए दावा वादी डिक्री किये जाने का अनुरोध करते हुए अपनी बहस पूर्ण की।

हमने अभिभाषक वादी द्वारा की गई बहस का मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से अध्ययन किया। वादीगण ने अपना दावा दिनांक 01. 07.2010 को प्रस्तुत किया था जो लगभग आठ वर्ष से अधिक समय

से पुराना है। वादीगण ने इस अवधि में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया है, जिससे प्रतीत होता हो कि प्रतिवादीगण वर्तमान में भी उनके खसरा नम्बरान से होकर सड़क निकाल रहे हैं अथवा उनकी आराजी में मिट्टी आदि डालकर उसे नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उनके विरुद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को भी कन्फर्म किए जाने की कोई प्रार्थना अथवा कार्यवाही का भी कोई निवेदन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि –

दावा वादीगण खारिज किया जाता है तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 20/11/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official